संख्या-66/2023/I/281675/2023/23-11099/4041/2020

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

विषयः-जनपद प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत मुगलसराय-इलाहाबाद सेक्शन (डी०एफ०सी०सी० रूट) के कि० मी० 775/13-15 पर ग्राम दिघिया के समीप मिर्जापुर-सिरसा मार्ग के मध्य क्रासिंग संख्या-20 सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-851/आर0ओ0 बी0/प्रयागराज क्षेत्र / बी०एम०सी०/2022, दिनांक 16.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत मुगलसराय- इलाहाबाद सेक्शन (डी०एफ०सी०सी० रूट) के कि०मी० 775/13 15 पर ग्राम दिघिया के समीप मिर्जापुर-सिरसा मार्ग के मध्य क्रासिंग संख्या-20 सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-35/2020/132 ई/23-11-2020-353(1)/2018, दिनांक 29.01.2020 द्वारा लागत रू0 3946.97 लाख लाख (जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत रू० 80.01 लाख, मुख्य सेतु (रेलवे भाग) की लागत रू0 1711.14 लाख तथा पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 2155.82 लाख सम्मिलित है) + जी0एस0टी0 (नियमानुसार) की प्रदान की गयी थी।

प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 4179.69+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	मूल स्वीकृति लागत	पुनरीक्षित स्वीकृति लागत
1	प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत मुगलसराय-इलाहाबाद सेक्शन (डी०एफ०सी०सी० रूट) के कि० मी० 775/13-15 पर ग्राम दिघिया के समीप मिर्जापुर-सिरसा मार्ग के मध्य क्रासिंग संख्या-20 सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य।	3946.97 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार)	4179.69 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य मद के लिये है, उसी कार्य मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606 / दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054 सड़क तथा सेतु 800 अन्य प्राप्तियां 01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(10) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(11) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। आगणन को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) प्रयोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति (1.1702 हे0) की लागत रू0 312.73 लाख प्रस्तावित की गयी है। भूमि अध्याति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(13) प्रभाग द्वारा प्रयोनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग विभाग का होगा।

(14) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्यप्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ०बी० निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई०वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(16) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमद के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022 10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022- 231/2022, दिनांक 04.11.2022 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या- 35/2020/132 35/2020/132 ई/23-11-2020-353(1)/2018, दिनांक 29.01.2020 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक-5054 सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के 101 पुल -05- रेलवे उपरिगामी सेतु-0516 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था 24 बृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक-5054- सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-15 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-642-X-2022-23, दिनांक 27.02.2023 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
(राज कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
5. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6. मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।।
10. मुख्य कोषाधिकारी आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12. महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/ वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
14. राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन।
15. अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
16. लोक निर्माण अनुभाग- 1/9/10/12 एवं 14. उ0प्र0 शासन ।
17. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.g

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।